जनपद - संतकबीरनगर　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　दिनॉक 24-04-2021

आज दिनांक 24.04.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

थाना महुली पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री अम्बरीष भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत **थानाध्यक्ष महुली श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 127 / 2021 धारा 147/148/149/323/504/307 भादवि में वांछित सूरज पुत्र रामसागर निवासी डोमाडीह थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 16.04.2021 को चुनावी रंजिश को लेकर लाठी डन्डों व अवैध असलहे से लैस होकर वादी सुनील यादव पुत्र रामसेवक यादव, कृष्ण मोहन पाण्डेय आदि के साथ मारपीट की गयी, मारपीट के दौरान जितेन्द्र गुप्ता पुत्र बालेदीन उर्फ रामकरन द्वारा अवैध 32 बोर पिस्टल से फायर किया गया जिसकी गोली आशुतोष यादव की जाँघ में जाकर लगी जिनको थाना महुली पुलिस द्वारा इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया । तत्काल विधिक कार्यवाही करते हुए थाना महुली पर 09 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था उक्त घटना में समलित 02 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है उक्त घटना में वांछित अभियुक्त सूरज पुत्र रामसागर निवासी डोमाडीह थाना महुली को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

<u>पीआरवी आफ द डे</u>

<u>पीआरवी 2545 द्वारा मारपीट / विवाद में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल</u>– पीआरवी <u>3306</u> को थाना थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत बस्ती-बस्ता से इवेन्ट संख्या 05371 से कालर ने दो पक्षों के बीच मारपीट / विवाद होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 09 मिनट में पहुंचकर मारपीट / विवाद में घायल व्यक्ति को प्राइवेट वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्ति द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ –आ0 मनोज यादव, हो0चा0 रिजवान अहमद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 57 वाहनो से 60000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 24.04.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 60 वाहनो से 60000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।